(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 237

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपक लालवानी पुत्र स्व. श्री जवाहरमल लालवानी(मौके पर मौजूद विक्रेता / मालिक) निवासी प्रताप चौक, बारॉं राज0 मैसर्स आवतमल जवाहरमल, प्रताप चौक, बारां जिला बारां
2. श्री रामचन्द्र बंसल पुत्र श्री घनश्याम बंसल(मालिक) निवासी राजपुरा वार्ड, बारां–325218 मैसर्स घनश्याम हेमराज, किरण मार्केट, बारां जिला बारां
3. श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री बजरंगलाल जैन(मालिक) निवासी म.सं. 5–सी–28, महावीर नगर विस्तार, दादाबाड़ी, कोटा 324009 मैसर्स Gaurav Trading company, Near Thekra Bridge, Sursagar Chambal Industrial Area, Kota, Raj.
4. श्री वैभव कुमार जोशी पुत्र श्री इन्द्र प्रसाद जोशी(नोमिनी) निवासी फ्लेट सं0 ए–401ए राजदर्शन अपार्टमेन्टए करन नगर रोड, राजसिटी, पोस्ट ऑफिस कडी, उपजिला कडी, जिला मेहसाना, गुजरात 382217 मैसर्स Gulab Oil & Food(Ahmedabad) Pvt. Ltd. Reg. Office:- Teliya Mill Compound, Nr. Dargah, O/s. Prem Darwaja, Opp. Senchuri Market, Ahmedabad-380002(Guj.) India Factory Add.- Kalyanpura Road, Nani Kadi, Kadi, Ta-Kadi, District- Mehsana 382715 (Gujrat)
5. फर्म मैसर्स– Gulab Oil & Food(Ahmedabad) Pvt. Ltd. Reg. Office:- Teliya Mill Compound, Nr. Dargah, O/s. Prem Darwaja, Opp. Senchuri Market, Ahmedabad-380002(Guj.) India Factory Add.- Kalyanpura Road, Nani Kadi, Kadi, Ta-Kadi, District- Mehsana 382715 (Gujrat)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 1)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2 ता 5)

निर्णय दिनांक 01.07.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2020 को मैसर्स आवतमल जवाहरमल, प्रताप चौक, बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक लालवानी पुत्र स्व. श्री जवाहरमल लालवानी(मौके पर मौजूद विक्रेता / मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एफ/एफएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 06.11.2020 एवं क्रमांक 937 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.02.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt मूल बोतल पैक में लगभग 20 बोतल में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt मूल बोतल पैक के 04 बोतल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री दीपक लालवानी पुत्र स्व. श्री जवाहरमल लालवानी(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) को 680/– रूपये (अक्षरे छः सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt मूल बोतल पैक को प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाएं एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1120 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1120 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक लालवानी पुत्र स्व. श्री जवाहरमल लालवानी(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/[illegible]/06 दिनांक 06.01.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 556/PHL/kota/Act/2020/635 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 5 की ओर से दिनांक 10.09.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 दिनांक 10.09.2021 को उपस्थित रहे। इसके पश्चात् क्रम 2 ता 5 अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 5 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 556/PHL/kota/Act/2020/635 दिनांक 29.12.2020 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल(ब्रान्ड गुलाब गोल्ड)** 01 Lt खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 556/PHL/kota/Act/2020/635 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 5 को कुल जुर्माना राशि 15,000/- रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 5 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 5 के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जरिये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा इस न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)